उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या– /2012/190(120)/XXVII(8)/2008

देहरादून:: दिनांक 22 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर,2012

अधिसूचना/संशोधन

कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट/मिलैट्री कैन्टीन के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के भीतर तैनात अथवा निवास कर रहे,जैसी भी स्थिति हो,भारतीय सशस्त्र बल/अन्य प्रतिरक्षा अधिष्ठानों के सदस्यों अथवा भूतपूर्व सैनिकों को कमान्डिंग आफिसर की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्र,जिसमें उक्त अधिनियम के अधीन कर प्रभारित किये बिना बिक्री की संस्तुति की गई हो,के आधार पर कतिपय शर्तो के अधीन दो पहियां एवं चार पहियां वाहनों को उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम,2005(अधिनियम संख्या–27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा 6 के अन्तर्गत व्यवहारी द्वारा की गयी बिक्री के आवर्त पर कर संदेय की छूट उत्तराखण्ड शासन वित्त,अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या–1151/2011/190(120)/XXVII(8)/2008,दिनांक 3.11.2011 द्वारा प्रदान की गयी है।

2– उक्त अधिसूचना में उल्लिखित वाक्यांश उत्तराखण्ड राज्य के भीतर तैनात अथवा निवास कर रहे,जैसी भी स्थिति हो,भारतीय सशस्त्र बल/अन्य प्रतिरक्षा अधिष्ठानों के सदस्यों अथवा भूतपूर्व सैनिकों में ''सैनिकों की विधवाओं'' शब्द को अधिसूचना के उक्त वाक्यांश में सम्मलित माना जायेगा।

3– पूर्व अधिसूचना दिनांक 3.11.2011 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

/

(राधा रतूड़ी)

सचिव

संख्या–572(1)/2012/190(120)/XXVII(8)/08/तद्दिनांक:

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त,कर,उत्तराखण्ड को इस आशय से कि कृप्या अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना/संशोधन से अवगत कराने का कष्ट करें।

2–एरिया मैनेजर,कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट,डिपो,61,ई0सी0रोड़,आराघर,देहरादन ।

3–गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव।

12/6/ 25/10/12 ......विधि......अनुभाग

आवश्यक कार्यवाही हेतु

अपर आयुक्त कर

उत्तराखण्ड, देहरादून